राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 182

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 10 दिसंबर 2019

पृष्ठ 16

मानवाधिकार दिवस

जागरण पड़ताल

कैसे मिले पुण्य! तीर्थराज प्रयाग में भी 'पाप' ढो रही गंगा...

प्रयागराज : कानपुर का हाल हमने देखा। यहां से निकल प्रयागराज को बढ़ती गंगा अपनी दुर्दशा को विस्तार से बयां करती है। प्रयागराज में 82 नाले हैं, जिनमें से 42 ही टैप हो सके हैं। यह तब है जब 2019 में लक्ष्य प्राप्त न कर सकी नमामि गंगे परियोजना को 2020 तक बढ़ाया गया है। (प्रयागराज से लाइव रिपोर्ट) (पेज-10)

जागरण विशेष

परजीवी से निकला प्रोटीन जोड़ों के दर्द से देगा मुक्ति

लखनऊ : जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाना अब आसान हो सकता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआइ) लखनऊ के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी (रियूमेटाइड आर्थराइटिस) का पुख्ता इलाज खोज निकालने का दावा किया है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

वंदे भारत में गड़बड़ी पर रेलवे विजिलेंस ने शुरू की जांच

अंबाला : महत्वाकांक्षी वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोजेक्ट में अनियमितताएं बरतने पर रेलवे बोर्ड की विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) चेन्नई के महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त) समेत आठ अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। अफसरों से जवाब तलब किया गया है। कुछ अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली : अखिल भारत हिंदू महासभा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में फैसले के खिलाफ कुछ सीमित बिंदुओं पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इसके अलावा 40 अन्य लोगों की ओर से एक और याचिका दाखिल हुई है जिसमें कोर्ट से 9 नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

हाई कोर्ट ने कोचर की बर्खास्तगी पर आरबीआइ से मांगा जवाब

मुंबई : बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तथा प्रबंध निदेशक (एमडी) चंदा कोचर की बर्खास्तगी मामले में दाखिल याचिका पर आरबीआइ से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। कोचर ने 30 नवंबर को हाई कोर्ट में अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी टूंजी बनीं मिस यूनिवर्स

अटलांटा : दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी टूंजी (26) ने मिस यूनिवर्स, 2019 खिताब जीत लिया है। अमेरिका के हास्य कलाकार और एंकर स्टीव हार्वे ने रविवार को यहां टेलर पेरी स्टूडियो में आयोजित प्रतियोगिता में जोजिबिनी को विजेता घोषित किया। पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स फिलीपींस की कैटरीना ग्रे ने जोजिबिनी को ताज पहनाया। भारत की वर्तिका सिंह शीर्ष दस में जगह नहीं बना पाईं।

गर्म माहौल में नागरिकता संशोधन बिल पास

बड़ी जीत ▶ समर्थन में पड़े 311 मत और 80 ने किया विरोध; बीजद, शिवसेना, वाइएसआरसीपी ने भी दिया साथ

शाह बोले, धार्मिक उत्पीड़न के शिकार सभी शरणार्थी को दी जाएगी नागरिकता, घुसपैठिये बाहर होंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में नारकीय जीवन से भागकर आए लोगों के लिए मोदी सरकार का 'मुक्ति का दस्तावेज'
- शाह बोले, धर्म के आधार पर विभाजन न होता तो नहीं लाना पड़ता विधेयक

लोकसभा में सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पर बोलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एएनआइ

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैरमुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत में नागरिकता का रास्ता तैयार होने लगा है। विधेयक पेश किए जाने से लेकर इसे पारित किए जाने तक विपक्ष के घोर विरोध और गर्मा-गर्म माहौल के बीच भाजपा और सहयोगी दलों के साथ-साथ कुछ गैरराजग दलों ने भी इसे 80 के मुकाबले 311 मतों के बहुमत से पारित करा दिया। संभवतः बुधवार को इसे राज्यसभा से भी पारित कराने की कोशिश होगी।

लोकसभा में इस बिल को पेश करने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इन देशों में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत में शरण और अधिकार देना भारत का कर्तव्य है। भाजपा ने घोषणापत्र में इसका उल्लेख किया था और जनादेश ने इस पर मुहर लगाई है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर विपक्ष यह साबित कर दे कि यह भारत के मुस्लिमों के खिलाफ है तो वह बिल वापस ले लेंगे। साथ ही आश्वासन दिया कि अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में यह लागू नहीं होगा। घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच भेद को जाहिर करते हुए कहा, शरणार्थियों के पास दस्तावेज हो या नहीं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। बिल पारित होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शाह की तारीफ करने के साथ ही बिल का समर्थन करने वाले सांसदों को धन्यवाद दिया। लगभग सात घंटे चली चर्चा में लोकसभा का माहौल बहुत गर्म था और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अमित शाह ने अकेले दम विधेयक पारित करा लिया। इस दौरान कभी तीखी झड़प तो कभी तीखे आरोप-प्रत्यारोप हुए। चर्चा में कुल 48 सदस्यों ने हिस्सा लिया और विपक्ष की ओर से हर किसी ने इस बिल को संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। उनका सीधा आरोप था कि इसमें मुस्लिमों को छोड़कर समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया। शाह ने विपक्ष की इस आशंका को खारिज कर दिया कि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, जिसमें नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करने का प्रावधान है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि किस तरह 1971 में विशेष परिस्थितियों में बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को शरण दी गई थी। बाद में यूगांडा और श्रीलंका संकट के दौरान भी ऐसा ही किया गया था। उन्होंने कहा, यदि उस समय अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं हुआ तो अब विपक्ष अब किस आधार पर आरोप लगा रहा है। शाह ने साफ किया कि तीनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं और इस नाते वे वहां अल्पसंख्यक नहीं हैं इसीलिए उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। शाह ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस धर्म के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार नहीं करती तो यह विधेयक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने विस्तार से यह भी बताया कि इन देशों में गैरमुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ बहुत भेदभाव हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया। ऐसे में उन्हें शरण देना हमारा कर्तव्य है।

पूरी चर्चा के दौरान राजनीति भी खूब साधी गई और इसकी झलक तब ज्यादा दिखी जब बंगाल से आने वाले तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सदस्य आमने-सामने हुए। धर्मनिरपेक्षता का आरोप लगा रहे कांग्रेस पर शाह ने भी चुटकी ली और तंज किया कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ है और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। शाह ने कहा, अगर वोट बैंक के कारण राजनीतिक दलों की आंख और कान बंद हो गए हों तो उसे खोल लें क्योंकि यह विधेयक न्याय देने के लिए है।

इस विधेयक को लेकर उत्तरपूर्व में सबसे ज्यादा आशंका थी। ऐसे में शाह ने भरोसा दिया कि पूर्वोत्तर के राज्यों को इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में यह लागू नहीं होगा। इनरलाइन परमिट से सुरक्षित नगालैंड और मिजोरम में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जबकि मणिपुर में इनरलाइन परमिट को लागू किया जाएगा। संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल होने के कारण मेघालय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा का भी बड़ा हिस्सा इससे बचा रहेगा। असम के मूल निवासियों की भी रक्षा होगी। शरणार्थियों की आशंकाओं को खारिज करते हुए शाह ने कहा कि कुछ दल भ्रम फैला रहे हैं। नागरिकता का आवेदन करने के बाद उनके खिलाफ अवैध रूप से भारत में आने की कोई जांच नहीं होगी। शाह ने भरोसा दिया कि इस विधेयक के तहत इन शरणार्थियों की नागरिकता उसी दिन से मानी जाएगी जिस तारीख से भारत में आए हैं। उनके पास राशनकार्ड हो या नहीं, गृह मंत्री होने के नाते उन्हें नागरिकता देने का भरोसा देते हैं। इस आधार पर आवेदन खारिज नहीं होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। 2014 से पहले आए शरणार्थी को 2020 तक नागरिकता मिल जाएगी।

बिल के पीछे राजनीतिक एजेंडे के विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि यह एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी दल का घोषणापत्र, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व होता है।

'कैब' पर बहस (विशेष) पेज>>5
संपादकीय पेज>>8

ओवैसी ने फाड़ी विधेयक की प्रति

सदन में बिल की प्रति फाड़ते असदुद्दीन ओवैसी। प्रेट्र

चर्चा के दौरान एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी ने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका में भेदभावकारी नागरिकता कार्ड को फाड़ने के बाद ही वह महात्मा कहलाए थे और यह कहते हुए उन्होंने विरोधस्वरूप विधेयक की प्रति फाड़ दी। उनकी इस हरकत का सत्ता पक्ष ने विरोध किया और इसे संसद का अपमान बताया। वहीं, ओवैसी ने कहा, बिल भारत के स्वाधीनता सेनानियों का अपमान है। यह जर्मनी में हिलटर द्वारा लाए गए भेदभावकारी कानूनों से भी बदतर है। यह संविधान के खिलाफ, मुसलमानों को देशविहीन बनाने और एक और बंटवारा करने की साजिश है। उन्होंने सवाल किया कि इसमें चीन को शामिल क्यों नहीं किया गया, क्या आप चीन से डरते हैं।

कर्नाटक उपचुनाव के नतीजों से येदियुरप्पा को मिला बहुमत

- 15 में 12 सीटें जीतकर बचा ली सरकार
- सिर्फ दो सीटों में सिमटी कांग्रेस, जदएस का खाता ही नहीं खुला
- कांग्रेस नेता सिद्दरमैया और दिनेश गुंडु राव ने दिया इस्तीफा

कर्नाटक में 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 12 पर भाजपा की जीत के बाद सोमवार को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को मिठाई खिलाने के बाद आशीर्वाद लेते उनके बेटे बीवाइ विजयेंद्र। एएनआइ

> कांग्रेस ने कर्नाटक में धोखा देकर जनादेश पलट दिया था। उसी धोखाधड़ी पर जनता के गुस्से के रूप में उपचुनाव में जीत मिली है।...ये जीत लोकतंत्र के लिए है। **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

बेंगलुरु, एजेंसियां : भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में कुल 15 में 12 सीटें जीतकर ना सिर्फ राज्य में अपनी सरकार बचा ली है, बल्कि एक बार फिर कर्नाटक की सियासी जमीन पर अपने पैर जमा लिए हैं। इस उप चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस ने सिर्फ दो सीटें जीती हैं, जबकि जनतादल (एस) का खाता ही नहीं खुला है। जदएस समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बेंगलुरु ग्रामीण की होसाकोटे सीट जीती है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वह वादे के मुताबिक विकासोन्मुखी और स्थिर सरकार देंगे।

चुनाव अधिकारी जी.जदियप्पा ने सोमवार को पांच दिसंबर को हुए चुनावों के नतीजे की घोषणा करते हुए बताया कि भाजपा ने अठानी, कागवाड़, गोकाक, येलापुर, हिरेकेरुर, रानीबेन्नुर, विजयनगर, चिक्कबल्लापुर, केआरपुरा, यशवंतपुर, महालक्ष्मी लेआउट और कृष्णराजापेट विधानसभा सीटें जीती हैं। जबकि कांग्रेस ने मैसुरु जिले की हुनासुर सीट और बेंगलुरु सेंट्रल की शिवाजीनगर सीट जीती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख दिनेश गुंडु राव ने पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जद एस ने इस चुनाव में अपनी पिछली तीन सीटें (केआरपेट, महालक्ष्मी लेआउट और हुनसुर) भी गंवा दी हैं।

दरअसल, कर्नाटक में महज चार महीने से सत्तारूढ़ येदियुरप्पा सरकार को 223 सीटों वाली विधानसभा में 111 सीटों के स्पष्ट बहुमत के लिए कुल सात और सीटों की जरूरत थी। हाईकोर्ट में लंबित मामले के चलते मस्की और आरआर नगर सीटें अभी भी खाली हैं। इस उपचुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन से भाजपा की सरकार अब और तीन साल तक कायम रहेगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अपनी 18 सदस्यीय कैबिनेट में जल्द ही अब विस्तार भी कर सकते हैं। मौजूदा विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल मई, 2023 में पूरा हो रहा है। इस विधानसभा में भाजपा के पास कुल 105 विधायक (एक निर्दलीय समेत) थे जो अब बढ़कर 117 हो गए हैं।

ध्यान रहे कि कांग्रेस और जद एस के 17 बागी विधायकों के कारण ही चार महीने पहले एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 माह पुरानी गठबंधन सरकार गिर गई थी और भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई थी। तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कांग्रेस व जद एस के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के चलते फिर से इन सीटों पर उप चुनाव कराए गए।

कांग्रेस-जद एस के गढ़ में सेंध पेज>>4

दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों की अनुमति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- सुबह छह बजे से लेकर शाम छह बजे तक करा सकेंगे काम
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर दी गई ढील
- शीर्ष अदालत ने पराली जलाने पर उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर एक बार फिर सख्ती दिखाई है और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ताजा रिपोर्ट तलब किया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निर्माण कार्य की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों को लेकर यह ढील केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की उस रिपोर्ट के आधार पर दी है, जिसमें रात में निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी करने पर जोर दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि यदि निर्माण कार्यों को लेकर कोई ढील देनी है, तो वह सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक की दी जाए। निर्माण कार्यों पर यह रोक एक नवंबर को वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद लगाई गई थी।

निर्माण कार्यों पर लगी रोक में ढील देने का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्र और दीपक गुप्ता की पीठ ने सोमवार को वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया है। इस बीच केंद्र सरकार ने भी कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट रखी। जिसमें बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दुनिया में प्रचलित तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। जिसमें आइआइटी सहित दूसरे तकनीकी संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। इस पर कोर्ट ने कमेटी में दिल्ली सहित यूपी, पंजाब और हरियाणा के आला अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

पीठ के सामने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि कोर्ट के निर्देश के बाद एंटी स्मोक गन जैसे उपायों को लेकर सहमति बनी है। जल्द ही इसे ट्रायल के तौर पर दिल्ली के कुछ स्थानों पर लगाया जाएगा। बता दें कि इस स्मोक गन के जरिए हवा में 50 मीटर तक पानी का छिड़काव किया जाता है। जिसके चलते हवा में मौजूद भारी प्रदूषक कण पानी में घुलकर जमीन पर बैठ जाते हैं।

शीर्ष अदालत ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 11 दिसंबर तक पराली जलाने से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके साथ कोर्ट ने 16 दिसंबर को प्रदूषण से जुड़े मामले की फिर से सुनवाई करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही कहा था कि एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के बजाय मिलजुलकर समस्या से निपटें और लोगों को जहरीली हवा से बचाएं।

वाडा ने लगाई चार साल की पाबंदी, रूस ओलंपिक और फुटबॉल विश्व कप से बाहर

लुसाने, एपी : विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने रूस पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते अब रूस अगले चार साल तक किसी भी प्रकार के मुख्य खेल आयोजनों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर यह पड़ेगा कि वह अगले साल टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक खेलों और 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है।

वाडा ने रूस पर डोपिंग रोधी प्रयोगशाला से गलत आंकड़े देने के आरोप लगाए और इस कारण उस पर यह प्रतिबंध लगाया। वाडा के एक प्रवक्ता ने कहा, सिफारिशों की पूरी सूची सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई है। इस प्रतिबंध के बावजूद डोपिंग से क्लीन चिट पाए रूसी खिलाड़ी तटस्थ झंडे तले ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले सकेंगे। वाडा की कार्यकारी समिति ने स्विट्जरलैंड में हुई बैठक में एकमत होकर इस देश पर चार साल का यह प्रतिबंध लगाया है। इस बैन के खिलाफ रूस अगले 21 दिन के भीतर अपील कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो मामला खेल पंचाट को भेजा जाएगा। (पेज-14 भी देखें)

उप्र से दुष्कर्मियों की समय पूर्व रिहाई का ब्योरा तलब

- सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों व पीड़ितों की उम्र का ब्योरा भी मांगा
- छह सप्ताह के बाद राज्य सरकार को देना होगा हलफनामा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को जेल से समय से पहले छोड़े जाने के मामलों का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने सरकार से छोड़े गए इन दोषियों और पीड़ितों की उम्र बताने को भी कहा है। सर्वोच्च अदालत ने यह जानकारियां तब तलब कीं जब उसे बताया गया कि राज्य में पिछले साल एक जनवरी से 1,544 ऐसे दोषियों को छोड़ा जा चुका है।

जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ ने राज्य सरकार से एक हलफनामा में इस संबंध में सारा ब्योरा मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद सुनिश्चित कर दी है। खंडपीठ ने कहा कि विभिन्न पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार एक हलफनामे में यह बताए कि दुष्कर्म और हत्या के कितने मामलों में दोषियों को छोड़ दिया गया है और पीड़ितों की उम्र क्या है। सर्वोच्च अदालत दुष्कर्म और हत्या के एक मामले के दोषी की अपील की सुनवाई कर रही थी। इसमें दोषी पिछले 35 सालों से आगरा की जेल में बंद है। मामले में दोषी महेश ने समय पूर्व अपनी रिहाई की याचिका को राज्य सरकार के खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

लिहाजा, खंडपीठ ने महेश को अंतरिम जमानत देते हुए उसे हर दूसरे सोमवार को सुबह दस बजे पास के थाने में रिपोर्ट करने को कहा था। अदालत का कहना है कि याचिकाकर्ता वास्तविक हिरासत करीब 35 साल रही है, लेकिन सजा सुनाए जाने के पहले से जेल में रहते हुए उसे करीब 45 साल हो गए हैं। इसलिए उसे अंतरिम जमानत दी जाती है।

इस मामले में खंडपीठ के न्यायिक मित्र (एमीकस क्यूरी) और वकील पिजूष कांति रॉय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे ही दोषियों को कई दफा सजा पूरी होने से पहले छोड़ चुकी है। इसलिए महेश की याचिका खारिज करने का कोई तुक नहीं बनता है। चूंकि अपने 35 साल के कारावास में वह एक दिन के लिए भी जेल से बाहर नहीं आया है।

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वह ऐसे मामलों में सर्वोच्च अदालत के पूर्ववर्ती आदेशों पर एक रिपोर्ट सौंप रहे हैं। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि एक जनवरी, 2018 से अब तक उत्तर प्रदेश सरकार 1544 कैदियों की अपील को स्वीकार कर चुकी है। सीआरपीसी के प्राविधानों के तहत उन्हें समय पूर्व रिहा किया गया है।

सर्वोच्च अदालत ने महेश को अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने से पहले निर्देशित किया कि उसकी एक मनोचिकित्सक से जांच कराई जाए और उसे छोड़े जाने से पहले उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। राज्य सरकार ने चार नवंबर को सर्वोच्च अदालत को बताया था कि उसने महेश को समय से पहले रिहा करने की याचिका रद कर दी है।

योगी सरकार का फैसला, उप्र में गठित होंगी 218 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पेज>>7

यूएनडीपी की रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम में भारत की रैंक हुई बेहतर, 2005-16 के बीच गरीबी के दलदल से निकाले गए 27 करोड़ लोग, 1990 से 2018 के दौरान एचडीआइ वैल्यू में 50 फीसद की हुई वृद्धि

योजनाओं का असर, नए भारत में बेहतर होती जिंदगी

189 देशों की सूची में भारत 129वें स्थान पर पहुंचा

- पीएम जनधन योजना और आयुष्मान भारत को मिला श्रेय

प्रति व्यक्ति आय के साथ ही जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 1990 से 2018 के बीच जीवन प्रत्याशा में 11.6 वर्ष, बच्चों के स्कूली जीवन की औसत अवधि में 3.5 वर्ष और संभावित स्कूली अवधि में 4.7 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी 250 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

अत्यधिक गरीबी कम करने में भारत जैसे देश सफल

अत्यधिक गरीबी कम करने में भारत जैसे देशों ने जबर्दस्त सफलता प्रदर्शित की है। नोडा ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि एचडीआर-2019 उन असमानताओं और अभावों पर रोशनी डालेगी जिनका आय से कोई संबंध नहीं है। साथ ही यह इस बात पर भी प्रकाश डालेगी कि हम पुरानी तरह की असमानताओं और नई असमानताओं से कैसे निपटते हैं मसलन आवासीय सुविधाओं से लेकर विश्वविद्यालय स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक, क्योंकि यह सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में बेहद अहम साबित होगी।'

नई दिल्ली, प्रेट्र : नए भारत में मानव जीवन की तस्वीर सुधार रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सोमवार को जारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है। 2018 में भारत 130वें स्थान पर था और मानव विकास सूचकांक (एचडीआइ) वैल्यू 0.647 थी। 189 देशों की इस सूची में भारत इस साल 129वें स्थान पर है।

यूएनडीपी की भारत में स्थायी प्रतिनिधि शोको नोडा ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, भारत में 2005-06 से 2015-16 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया। इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को दिया। साथ ही कहा, भारत की तेज प्रगति का कारण गत तीन दशकों में किया गया त्वरित विकास है, जिसमें गरीबी में नाटकीय रूप से कमी आई है। साथ ही जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है।

दक्षिण एशिया में सबसे तेज वृद्धि : एचडीआइ के मुताबिक, 1990-2018 के दौरान दक्षिण एशिया 46 फीसद की दर के साथ सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र रहा। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र 43 फीसद की दर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नोडा ने बताया, 'भारत की एचडीआइ वैल्यू में 50 फीसद (0.431 से 0.647) की बढ़ोतरी हुई है जिसकी वजह से उसे मध्यम मानव विकास समूह (0.634) के देशों के औसत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के समूह (0.642) से ऊपर रखा गया है।' क्षेत्र के अन्य देशों में इंडोनेशिया और फिलीपींस भी उच्च मानव विकास वाले देशों में शुमार हो गए हैं।

28 फीसद बहुआयामी गरीब भारत में : रिपोर्ट के मुताबिक, सभी देशों में बहुआयामी गरीबी (आय, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अभावों को शामिल करते हुए) अभी भी काफी ज्यादा है। 101 देशों में रह रहे 1.3 अरब बहुआयामी गरीबों में से 66.1 करोड़ एशिया व प्रशांत क्षेत्र में हैं। सिर्फ दक्षिण एशिया में ही 41 फीसद बहुआयामी गरीब रहते हैं। भारत की उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद कुल बहुआयामी गरीबों में से 28 फीसद यहीं रहते हैं।

लैंगिक विकास में भारत की स्थिति दक्षिण एशिया से बेहतर : लैंगिक विकास सूचकांक में पूर्वी एशिया व प्रशांत क्षेत्र दूसरे स्थान पर है जबकि क्षेत्र में कोरिया गणराज्य पहली पायदान पर है। इस मामले में भारत की स्थिति (0.829) दक्षिण एशिया की स्थिति (0.828) से थोड़ी बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय महिलाएं और पुरुष लैंगिक सामाजिक मानकों में ज्यादा पक्षपाती रवैया अपनाने लगे हैं जिससे महिला सशक्तीकरण के प्रयासों को धक्का लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण एशिया में 31 फीसद महिलाएं अपने पार्टनर की हिंसा का शिकार बनती हैं।

जेएनयू छात्रों ने पदयात्रा का रूट बदला तो पुलिस ने चलाई लाठियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नई दिल्ली में सोमवार को फीस वृद्धि के खिलाफ भीकाजी कामा प्लेस के पास प्रदर्शन करते छात्र पर लाठी चलाते पुलिसकर्मी। जागरण

फीस वृद्धि के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रदर्शनकारी छात्रों ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर से राष्ट्रपति भवन के लिए पदयात्रा निकाली। हालांकि बीच पदयात्रा में छात्रों ने तय के बजाय दूसरे रास्ते पर जाना शुरू किया। इस पर पुलिस ने उन्हें पूर्व निर्धारित रास्ते पर जाने के लिए खदेड़ दिया। इस पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी रिंग रोड पर भीकाजी कामा प्लेस के सामने धौला कुआं जाने वाले मार्ग पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष पुलिस की जिप्सी पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने लगीं। एक महिला पुलिसकर्मी ने आइशी को नीचे उतारे जाने से खफा प्रदर्शनकारी हंगामा करने लगे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को काबू किया। हालांकि छात्र संघ का आरोप है कि पुलिस ने हयात होटल के सामने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर लाठियों से पीटा जिससे कई छात्र चोटिल हुए हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी विवेकानंद मार्ग पर वायुसेना मुख्यालय के सामने सड़क पर बैठ गए। शाम करीब 7 बजे तक सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सड़क से हटा दिया।

दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने लाठीचार्ज से इन्कार करते हुए कहा, किसी आंदोलनकारी को हिरासत में नहीं लिया गया है। (पेज-2 भी देखें)